

प्रेस नोट

दिनांक- 28.07.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा कड़ी पैरवी करके पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में महिला संबन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 274/16 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बाजारशुकल में अभियुक्त सुरेश पुत्र सुन्दरलाल नि0 सिधौली थाना बाजारशुकल जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई । परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ए.एस.जे-12 पाक्सो एक्ट सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 28.07.2022 को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रूपया के अर्थदंड से दण्डित किया गया । धारा 363 भादवि में 07 वर्ष की सजा व 10 हजार के अर्थदंड से, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदंड, 8 पाक्सो में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा दिनांक 06.03.2016 को समय 12:30 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी के नाबालिक पुत्री को अभियुक्त सुरेश पुत्र सुन्दरलाल नि0 सिधौली थाना बाजारशुकल जनपद अमेठी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की इस सूचना पर थाना बाजारशुकल पर मु0अ0सं0274/16 धारा 363,366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत करके विवेचना थानाध्यक्ष चन्द्रशेखर सिंह द्वारा की गयी । विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या ए-79 दिनांक 17.05.2016 को मा0 न्यायालय में प्रेषित की गयी ।